68

विद्

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

R 1167-I-17

सुरेश कुमार मेहरा आ0 श्री बुद्धू सिंह मेहरा, उम्र 45 वर्ष, निवासी उमरिया, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)।

——— पुनरीक्षणकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. 17.04.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

भू–अर्जन अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर

——— उँत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर द्वारा रा.मा. कमांक 49ब/121(अ) वर्ष 2013–14 मौजा उमरिया, नं.वं. 31, प.ह.नं. 90/64, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के पारित आदेश दिनांक 29/01/2014 से परिवेदित होकर निम्न अनुसार तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है :–

17.4.17 (L.S. Dhawan)

तथ्य

(1) यह कि पुनरीक्षणकर्ता के पूर्वज नन्हे आ0 धनसिंह मेहरा के नाम से वर्ष 1892–93 की मिशन बंदावस्त मौजा उमरिया उक्त समय का नंबर बंदोवस्त 16 ख.नं. 69 रकवा 26.22 एकड़ ख.नं. 70 रकवा 4.24 एकड़ कृषि भूमि राजस्व दस्तावेजों में दर्ज है एवं उक्त खसरा नम्बर वर्ष 1924–25 वर्ष की मिशन बंदोवस्त में ख.नं. 69 एवं 70 को मिलकर वर्ष 1924–25 में ख.नं. 76 के रूप में उक्त दोनों खसरा नम्बरों को समाहित कर दिया था और उक्त ख.नं. 76 मिशलबंदोवस्त 1924–25 में मुन्ना आ0 भूरा मेहरा के नाम से मौजा उरिया, नं.वं. 31, ख.नं. 76, रकवा 30 एकड़ 64 डिसमिल कृषि भूमि मिशल बंदोवस्त वर्ष 1924–25 में काविज काश्तकार के नाम से दर्ज है चूँकि मौजा उमरिया में विट्रिश शासन काल वर्ष 1924–25 में राजा डोलन सिंह का राज्य था और समस्त भूमि राजा डोलन सिंह के नाम से दर्ज थी उक्त खसरा नम्बर की भूमि को राजा डोलन सिंह ने अपने शासन काल में व्यक्तिगत सेवा ग्राम नौकर के रूप में आवेदक के पूर्वज मुन्ना आ0 भूरा को खसरा नम्बर 76 रकवा 30 एकड़ 64 डिसमिल कृषि भूमि प्रदान की थीं और आवेदक के पूर्वज मुन्ना वल्द भूरा का नाम वर्ष 1924–25 मिशल बंदोवस्त राजस्व दस्तावेज में ग्राम नौकर के रूप में नाम दर्ज हो गया आवेदक के पूर्वज मुन्ना के फौत होने के उपरांत उक्त खसरा नम्बर गयाप्रसाद के नाम से एवं गयाप्रसाद के फौत होने उपरांत उनके पुत्र बुद्धू के नाम से एवं बुद्धू के फौत होने के उपरांत आवेदक सुरेश कुमार के नाम से उक्त कृषि भूमि वर्ष 1924–25 से वर्ष 2014–15 तक राजस्व दस्तावेजों में दर्ज रही और उक्त ख.नं. 76 आवेदक की खानदानी कृषि भूमि है मध्यप्रदेश शासन द्वारा उसे कोटवारी परिश्रमिक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1167–एक/17 जिला–नरसिंहपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला नरसिंहपुर द्वारा, रा0मा0 कमांक 49 बी/121(अ) 2013–14 मौजा उमरिया न0व0 31 प0ह0न0 90/64 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के पारित आदेश दिनांक 29.1.14 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तु की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि कृर्षि भूमि के रकवा को उत्तरवारी के द्वारा गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में स्थापित एन0टी0पी0सी पॉवर प्लांट के नाम से उक्त खसरा नम्बर के रकवा में आवेदक का नाम काटकर एनटीपीसी पॉवर प्लांट गांगई का नाम दज्र कर दिया तो आवेदक के द्वारा माननीय उच्च नयायालय जबलपुर याचिक़ा कमांक 16273/2013 पेश की थी उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण का निराकरण करने के लिये दिये थे। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि न तो मुआवजा राशि प्रदान की गई है। उनके द्वारा अंत में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी	

बिन्दुओ को अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3– अनावेदक के पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा है कि कलेक्टर नरसिंहपुर का आदेश दिनांक 29.1.14 उचित हे उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह करने का अनुरोध किया गया है।

4– मेरे द्वारा अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि कलेक्टर जिला नरसिंहपुर द्वारा मामला विधिवत जांच एवं प्रतिवेदनाथ्र तहसलीदार को भेजा गया था उनके द्वारा जांच उपरांत प्रकरण अपने पतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय को भेजा जिसमें मिसल बन्दोवस्त के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि राजा डोलनसिंह लम्बरदार द्वारा ग्राम की सेवा के लिये मुन्ना वल्द भूरा मेहरा गांव नौकर को दी गई थी। वर्तमान में आवेदैक ग्राम कोटवार नियुक्त हैं जिससे प्रश्नाधीन भूमि उसके नाम से सेवा भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखो में दर्ज है तथा वह प्रश्नाधीन भूमि का

उपयोग सेवा भूमि के रूप में किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह भूमिस्वामी हक पाने हेतु पात्र नहीं है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार कलेक्टर जिला नरसिंहपुर का आदेश दिनांक 29.1.14 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संधय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य